न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0).

पीठासीन अधिकारी: अतुल प्रकाश, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 15/2019

उनवान

नानु पिता श्री कुरिया जाति भील निवासी आंजना तहसील गढी जिला बांसवाडा। —: प्रार्थी

बनाम

(1) प्रधानाचार्य उच्च माध्यमिक विद्यालय, आंजना तहसील गढी जिला बांसवाडा।

(2) तहसीलदार, तहसील गढी हाल तहसील अरथूना जिला बांसवाडा। —: अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17 माही कोलोनाईजेशन एक्ट

दिनांक: 03-03-2021

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि गांव आंजना तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज) में आराजी नम्बर 5450 कुल रकबा 0.09 एयर पर पैतृक समय से कब्जा होकर प्रार्थी उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है एवं उक्त भुमि के सर्वे नम्बर 5450 कुल रकबा 0.09 एयर पर प्रार्थी का कब्जा होकर कृषि करते चला आ रहा है एवं उक्त सर्वे नम्बर की पेनल्टी भी प्रार्थी ही अदा करता चला आ रहा है। प्रार्थी की पैतृक समय से कब्जे शुदा उक्त आराजी की भुमि पर प्रार्थी का पैतृक समय से कब्जा होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है नम्बर 01 ने फर्जी तरीके से राजस्व कर्मचारियो से मिलकर अपने नाम आवंटन करवा लिया। जबकि उक्त भुमि मौके पर अप्रार्थी नम्बर 1 का कोई हक, अधिकार और स्वामित्व नही है परन्तु फीर भी फर्जी तरीके से अपने नाम आवंटित करवाली है। जो आवंटन विधि विरूद्ध होने से काबिल निरस्ती है। अप्रार्थी नम्बर 1 द्वारा उक्त भुमि को फर्जी तरीके से बिना अधिकार के अपने नाम आवंटन करवा लिया है जो गलत है। वस्तुस्थिति यह है कि खसरा नम्बर 5450 कुल रकबा 0.09 एयर भुमि पर प्रार्थी का बरसो पुराना कब्जा है तथा प्रार्थी उसका उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है। उक्त भूमि पर प्रार्थी काबीज है व अप्रार्थी नम्बर 1 का कभी भी मौके पर कब्जा नही रहा है एवं न ही उक्त भुमि के आस पास अप्रार्थी नम्बर 1 की कोई नही भुमि है इसके बावजूद भी अप्रार्थी नम्बर 1 ने अपने प्रभाव व सम्पर्क का गलत लाभ उठाकर प्रार्थीया की जानकारी के बिना उक्त भूमि को गलत तथ्यो के आधार पर राजस्व कर्मचारियो से मिलकर अपने नाम आवंटन करवा लिया है जो काबील निरस्ती है। अप्रार्थी नम्बर 1 सदभावी कृषक नही है न कभी उसने काश्त की है । इसलिये भी आवंटन काबील निरस्ती के है। अप्रार्थी नम्बर 01 ने आवंटन के बाद न तो कब्जा प्राप्त किया है, न कभी काश्त की है एवं उक्त आवंटन मात्र पेपर एलोटमेन्ट है। जिस कारण उक्त आवंटन काबील खारजी के है। अप्रार्थी नम्बर 1 को कोई अधिकार नही कि वह प्रार्थीया की उक्त भुमि को बिना किसी कारण या सुचना या अधिकार के अन्य व्यक्तियो के नाम आवंटन कर दे, न ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया है जिस कारण माही एलोटमेन्ट संख्या 15(5)(4) में "If it is discovered at any time that any information submittedby any applicant is false to cultivate the land personally the entire land allotted may be res[illegible] authority with out payment of compensation-" जो कि अप्रार्थी के [illegible] हुआ है काबील निरस्ती के है एवं इसी धारा मे यह भी वर्णित है कि [illegible] आवंटन खारिज किया जा सकता हैं। जिस कारण भी अप्रार्थी का आवंटन काबील निरस्ती है। धारा 13(ठ) मे यह [illegible] किया गया है कि "An allottee shall be bound to cultivate whole of the allotted land in two years. On his failure to fulfil this condition the allotment of land shall be liable to cancellation by the allottiong

Signature Not Verified

Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:08:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

authority- रेवेन्यु रेकार्ड में यह भुमि काका अंकित है एवं बीड की भुमि धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार आवंटन वर्जित होने पर भी सही माने में आवंटन अधिकारी ने विधिक त्रुटि की है। जिस कारण भी अप्रार्थी का आवंटन काबील निरस्ती होने से धारा 17 उपनिवेशन अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण के नाम सम्मन जारी किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री जितेन्द्र भट्ट, अभिभाषक का वाकलातनामा पेश होकर जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वादग्रस्त सर्वे नम्बर 5450 रकबा 0.09 हे0 भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त नही होकर अप्रार्थी सख्या 01 के विद्यालय की बाउण्ड्री बनी होकर खेल मैदान के रूप में वर्षो से उपयोग में ली जाना अवगत कराया। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की जाने पर प्रार्थी अभिभाषक द्वारा प्रार्थी नानु के फोत हो जाने से संशोधित उनवान प्रस्तुत करना चाहतें हुऐ संशोधित उनवान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में बकुलाय की बहस सुनी गई।

बकुलाय की बहस पर मनन् करने तथा प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, राजस्व अभिलेख की छाया प्रतिया एंव अप्रार्थी संख्य01 की ओर से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन कर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचा हैं कि पटवार हल्का आंजना के मौजा आंजना के मिलान क्षेत्रफल सन् 1982 से 1988 अनुसार रकबा 0.01 हे0 भूमि अंकित होकर उक्त भूमि खाता संख्या 1156 (नई) 1039 (पुरानी) सर्वे नम्बर 5450 रकबा 0.01 हे0 भूमि उच्च प्राथमिक विद्यालय आंजना के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड होकर उक्त विद्यालय के नाम दर्ज अन्य सर्वे नम्बर 5185 रकबा 0.63 हे0, सर्वे नम्बर 5449 रकबा 0.20 हे0 एंव वादग्रस्त सर्वे नम्बर 5450 रकबा 0.01 हे0 कुल किता तीन रकबा 0.84 हे0 भूमि विद्यालय के नाम दर्ज होकर विद्यालय की चहार दिवारी बनी हुई होने से प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पोषणिय नही होने से प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.3.2021 को सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:08:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner